

दिनांक 15-6-2017

15/6/17

पन्नावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार
राजस्व लोक रुदायत कार्यक्रम व्यवस्थापक
काफे वर 2017 केम्प कोर्ट, मालखवांग
में पेश हुई। प्रकरण में पत्रकारों को
लोक रुदायत के जारी नोटिस वाद
तामील प्राप्त हुए, प्राप्त नोटिस शांति
मिस्य हो। पत्रकार संघिका के प्रतिनिधि
उपस्थित। मजमा-3 काम में जारी
व प्रतिनिधि को सुना गया। हमारे
पत्रों को आपसी सहमति से प्रकरण

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियक्स जज


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियक्स जज

का निस्तारण करने हेतु समझावरी
की गई। उपरिष्ठत लोगों की समझावरी
के परस्वात दोनो पत्र आपसी सहमती
से प्रकरण का निस्तारण करने
हेतु सहमत हुये। दोनो पत्रों ने
संयुक्त दस्तावेज वरुत राजीनामा
पेश किया। राजीनामा में दोनो पत्रों
ने जवाहरराव के साथ प्रमुख नजरी
नवशा को स्वीकार किया। तथा मानसि
प्रतिवादी सं 12, 13, 14 के दिससेक्ट
में फाल्ना गांव के खसरा नंबर 349 व
348 की झमि जो नवशा में बंगनी बंगरसे
दक्षित है, की झमि रहेगी। प्रतिवादी सं 12
के बंट में सं न 405 संपूर्ण, खसरा 347 363
की झमि जो नवशा में ठासमानी बंगरसे दक्षि
ह, रहेगी। वाडीगम व प्रतिवादी सं 10, 11
के संयुक्त दिससेक्ट में खसरा 341, 364, 408
संपूर्ण की झमि जो नजरी नवशा में लाल बंगरसे
दक्षित झमि रहेगी। पानी बंब (पुराने युक्त में)
कोई नदी रोकेगा शामलाती में रहेगा, खसरा
संयुक्त नवशा में किया जावेगा। रास्ता
नवशा में शामलाती रहेगा। नजरी नवशा
के अनुसार दोनो पत्र शांति कनिये रखे।
कुछ मुसरे पर कानि चुकाने नही करे।
इस हेतु दोनो पत्र प्राकट्य रहे। इस
प्रकार दोनो ही पत्र वादमस्त झमि फाल्नागांव
के खसरा 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,
405, 407, 408 वृत्तखसरा 18 कुल खसरा 7-05
दस्तावे का विभाजन प्रस्तुत राजीनामा

रा. नि. मो. देवी



श. नि. र. मो. देवी



श. नि. म. मो. देवी



श. नि. स. मो. देवी



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियक्स जज

तारीख
हुकम

4 28/11

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख में
जारी हुए

व नजरी नक्शा अनुसार बनाने हेतु
सहमत है। उक्त वाद का पीठाधीनता मामला को
स्वीकार किया जाता है। परन्तु वाद पीठाधीनता
व नजरी नक्शा को पिछले व डिफ़ी
प्ली का भाग माना जावे। इसी अनुसार
डिफ़ी प्ली जारी हो। वेकट में इस
दरमध्य व नजरी में तंजमीन हेतु
तहसीलदार, काशी व परजारी हेतु
मालका राब को लिखा जावे। जिसके
मदद से नुमांश होकर नजरी व वेकट
हो।

उक्त
उप-सदस्य अधिकारी, काशी

तब वाली से
निदेश प्राप्त
ह
14-9-20